

न्यायालय श्रीमान् सस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2012

R. 3639 - J/12



हीरामणि सादव नय जुगल सा० जोरबी तह०

चित्तमोजिला सिसरोली म०प्र० ----- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० राज्य

----- अनावेदक

श्री विरुद्ध रजपुत्र
निरा वसुदेव 17/10/12
अव 29/10/12

निगरानी विरुद्ध आदेश कले० जिला

सिसरोली दिनांक 09-10-12 बाबत

प्रकरणक्र० 104/निग०/2011-12

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व संविदास
1959 ई०

R
17/10/12

संक्षेप में तथ्य

ग्रामनाडिया तहसील चित्तमोजी की भूमि न० 830/3

कुलरकवा 0.80 हे० पर सैकडा वर्यासे आवेदक मालिक है जिसपर आवेदक

का पुस्तनी माकान हदारा :कुआं: वाग वगीचा वपम्प वविजली कने०

वाउड्रीआदि निर्मित होने से आवेदक के हक में जरिये प्रकरण 25/8-74/87-88

आदेश दिनांक 16-08-1988 को आवेदक को भूमिस्वामी दर्जाकिये जाने

बाबत आदेश सहायक वन्दोवस्त अधिकारी दल क्रमांक 4 चित्तमोजी द्वारा

की गयी और आदेश के बाद अभिलेखा में इतलायावी न होने ककारण

पुनः नायब तहसीलदार चित्तमोजी द्वारा इतलायावी आदेश 5-1-03 पारित


किया गया जिसके खिलाफ कलेक्टर सिसरोली द्वारा स्वयमेव पुनरीक्षण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3639-I/12

जिला-सिंगरौली

हीरामणि यादव/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 104/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	